आदेश की क्रम सं0 और तारीख 1	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर 2	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित 3

Board of Revenue, Bihar, Patna

Service Appeal Case No. 10 of 2023

Dist.:- Patna

Sri Ravindra Kumar - Petitioner/ Appellant

Versus

The State of Bihar - Respondent/ Opp. Party

Appearance :

For the Appellant : - Sri Sidheshwar Prasad , Advocate
For the Respondent : - Sri Rajeev Kumar Singh

आदेश

26.10.2023

यह सेवा अपील वाद श्री रविन्द्र कुमार, सहायक (सेवानिवृत), कारा एवं सुधार सेवाएँ निरीक्षणालय, गृह विभाग (कारा) द्वारा सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश ज्ञापांक– 13487 दिनांक– 03.08.2022 द्वारा अधिरोपित दंड के विरूद्ध दायर किया गया है।

श्री रविन्द्र कुमार, सहायक, कारा एवं सुधार सेवाएँ निरीक्षणालय, गृह विभाग (कारा), बिहार, पटना के विरूद्ध प्रमाणित आरोपों के लिए बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के नियम 14 के तहत (1) निन्दन (आरोप वर्ष 2021–2022) एवं (2) एक वेतनवृद्धि असंचयात्मक प्रभाव से रोकने की शास्ति संसूचित की गयी है।

श्री रविन्द्र कुमार, सहायक, कारा एवं सुधार सेवाएँ निरीक्षणालय, गृह विभाग (कारा) के विरूद्ध कारा एवं सुधार सेवाएँ निरीक्षणालय, गृह विभाग (कारा), बिहार, पटना के पत्रांक– 5678 दिनांक– 23.05.2022 द्वारा निम्न आरोप प्रतिवेदित है :–

(1) मंडल कारा, नवादा में दिनांक–06.09.2021 को विचाराधीन बंदी गुड्डु कुमार की मृत्यु की जाँच से संबंधित जिला पदाधिकारी, नवादा का पत्रांक–1926/गो0, नवादा, दिनांक–13.09.2021 आपको दिनांक–25.11.2021 को प्राप्त कराया गया था। जिला पदाधिकारी, नवादा के उक्त प्रतिवेदन में बंदी मृत्यु की घटना के लिए कारा अधीक्षक एवं

आदेश की क्रम सं0 और तारीख 1	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर 2	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित 3

उपाधीक्षक की लापरवाही एवं कर्त्तव्यहीनता का आरोप प्रतिवेदित किया गया था। अतः इस प्रतिवेदन पर निगरानी प्रशाखा में कार्रवाई अपेक्षित था।

जिला पदाधिकारी, नवादा के उक्त प्रतिवेदन पर त्वरित कार्रवाई करते हुए इसे निगरानी प्रशाखा में भेजा जाना चाहिए था परन्तु आपके द्वारा इस पत्र को अपने पास रख लिया गया तथा लगभग चार माह बाद खोजबीन करने के उपरान्त उक्त प्रतिवेदन निगरानी प्रशाखा को प्राप्त हो पाया। इस कारण मृत्यु जैसे गंभीर घटना में दोषियों पर कार्रवाई करने में विलम्ब हुआ, आपका यह कृत्य बिहार सरकारी सेवक आचार नियमावली 1976 के नियम (3) के प्रतिकूल है।

उक्त प्रतिवेदित आरोप एवं साक्ष्यों की प्रति बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के नियम 17/19 के तहत विभागीय ज्ञापन सं0– 9210 दिनांक– 08.06.2022 द्वारा श्री कुमार को उपलब्ध कराते हुए बचाव का लिखित अभिकथन समर्पित किये जाने का निदेश दिया गया।

श्री कुमार द्वारा दिनांक– 22.06.2022 को अवर सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग को बचाव अभिकथन समर्पित करते हुए अपने बचाव में मुख्यतः निम्न तथ्यों का उल्लेख किया गया :–

1. श्री रविन्द्र कुमार द्वारा अपने बचाव अभिकथन में बताया गया कि जिला पदाधिकारी, नवादा के पत्रांक– 1926/गो0 दिनांक– 13.09.2021 द्वारा प्रेषित पत्र की छायाप्रति उन्हें महानिरीक्षक तदोपरांत उप महानिरीक्षक एवं उप महानिरीक्षक द्वारा अंकित प्रशाखा–6 के उपरांत प्रशाखा पदाधिकारी द्वारा मुझे मार्क करने के उपरांत चौसठ (64) दिनों के विलंब से दिनांक– 25.11.2021 को संध्याकाल में पत्र प्राप्त हुआ, जिसमें महानिरीक्षक महोदय द्वारा दो निदेश अंकित किया गया था– (1) NHRC की संचिका में भी रखें एवं (2) Magisterial Enquiry की Report भी प्राप्त करें। पत्र प्राप्ति के उपरांत त्वरित कार्रवाई करते हुए दिनांक– 01.12.2021 को NHRC से संबंधित संचिका सं0–कारा/06 (मानवाधिकार)–100/21 जो श्री कुमार के प्रभार में थी, में उपस्थापित करते हुए कारा विभाग के पत्रांक–9933 दिनांक– 03.12.2021 से Magisterial Enquiry Report प्राप्त करने हेतु प्रथम बार पत्र निर्गत किया गया। तदोपरांत लगातार आठ (8) स्मार पत्रों से Magisterial Enquiry Report प्राप्त होने तक स्मारित किया गया। कई

आदेश की क्रम सं0 और तारीख 1	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर 2	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित 3

स्मार पत्रों के उपरांत चार माह बाद मंडल कारा, नवादा के पत्रांक– 2537 दिनांक–04.06.2022 के द्वारा दिनांक– 09.06.2022 को Magisterial Enquiry Report मुझे प्राप्त हुआ। इस रिपोर्ट पर त्वरित कार्रवाई करते हुए श्री कुमार ने विभागीय गै0स0प्रे0सं0–773 दिनांक– 10.06.2022 के द्वारा निगरानी प्रशाखा–03 को भेज दिया गया। उक्त वर्णित सभी तथ्यों के प्रमाणिकता हेतु अपीलार्थी द्वारा अपने लिखित बचाव अभिकथन में सभी पत्रों की छायाप्रति संलग्न की गयी है।

2. इस प्रकार कार्यालय में कुल चौसठ (64) दिन तक पत्र महानिरीक्षक कोषांग में रखे जाने के उपरांत जैसे ही श्री कुमार को दिनांक–25.11.2021 को प्राप्त हुआ एवं उस पत्र के उपांत में महानिरीक्षक महोदय के निदेश (1) NHRC की संचिका में भी रखें एवं (2) Magisterial Enquiry की Report भी प्राप्त करें, के अनुपालन में त्वरित कार्रवाई करते हुए दिनांक– 01.12.2021 को संचिका उपस्थापित करते हुए Magisterial Enquiry Report प्राप्त करने हेतु मूल पत्र समेत अधीक्षक मंडल कारा, नवादा को आठ (8) बार स्मारित पत्र भेजा गया।

3. मंडल कारा अधीक्षक, नवादा से Magisterial Enquiry Report प्राप्त करने हेतु लगभग नौ (9) बार संचिका उपस्थापित की गई। इस दौरान किसी भी पदाधिकारी द्वारा Magisterial Enquiry Report का प्रतिवेदन निगरानी शाखा को भेजे जाने का किसी प्रकार का निदेश नहीं दिया गया क्योंकि यह प्रतिवेदन स्वयं इस कार्यालय को चार माह के विलंब से मंडल कारा अधीक्षक, नवादा के पत्रांक– 2537 दिनांक– 04.06.2022 से निर्गत पत्र दिनांक– 09.06.2022 को कारा विभाग को प्राप्त हुआ। तदोपरांत इस पर त्वरित कार्रवाई करते हुए श्री कुमार द्वारा दिनांक–10.06.2022 को गै0स0प्रे0सं0–773 दिनांक– 10.06.2022 द्वारा निगरानी शाखा को भेजने का उल्लेख किया गया है साथ ही प्रतिवेदित आरोप कि चार (4) माह बाद खोजबीन के बाद निगरानी शाखा को उपलब्ध कराने के आरोप से मुक्त करने का अनुरोध किया गया है।

अपील आवेदन में उपलब्ध अभिलेख एवं साक्ष्य, तथा सुनवाई के क्रम में दिये गये तर्कों का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार से है–

कारा एवं सुधार सेवाएँ निरीक्षणालय, गृह विभाग द्वारा श्री रविन्द्र कुमार, तत्कालीन सहायक पर जिला पदाधिकारी नवादा के पत्रांक–1926/गो0 दिनांक–13.09.

आदेश की क्रम सं0 और तारीख 1	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर 2	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित 3

2021 जो संबंधित सहायक को दिनांक –25.11.2021 को उपलब्ध कराया गया जिसमें विचाराधीन बंदी, गुड्डु कुमार की मृत्यु की जॉच से संबंधित जिला पदाधिकारी, नवादा का प्रतिवेदन था। उक्त प्रतिवेदन में बंदी की मृत्यु की घटना के लिए कारा अधीक्षक एवं उपाधीक्षक की लापरवाही एवं कर्त्तव्यहीनता का आरोप प्रतिवेदित किया गया था जिसपर निगरानी शाखा द्वारा कार्रवाई किया जाना अपेक्षित था। इस प्रतिवेदन को निगरानी प्रशाखा में भेजा जाना चाहिए था, जो समय से न भेजकर चार (4) माह बाद खोजबीन करने के उपरांत निगरानी प्रशाखा को प्राप्त कराया गया। इस कारण मृत्यु जैसी गंभीर घटना में दोषियों पर कार्रवाई करने पर विलंब होने का उल्लेख किया गया है।

अपीलार्थी द्वारा सुनवाई के दौरान प्रस्तुत किये गये कागजातों के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि जिला पदाधिकारी नवादा के पत्रांक–1926 / गो0 दिनांक–13.09.2021 जो संबंधित सहायक को महानिरीक्षक कोषांग से चौसठ (64) दिन के विलंब से दिनांक–25.11.2021 को उपलब्ध कराया गया पत्र के उपांत में महानिरीक्षक द्वारा दो निदेश अंकित किया गया था– (1) NHRC की संचिका में भी रखें एवं (2) Magisterial Enquiry की Report भी प्राप्त करें। तदोपरांत सहायक द्वारा अपेक्षित कार्रवाई करते हुए दिनांक–01.12.2021 को Magisterial Enquiry Report प्राप्त करने के लिए संचिका संख्या– कारा / 06 (मानवाधिकार)–100 / 21, जो श्री कुमार के प्रभार में थी तथा पत्र के उपांत में दिया गया निदेश भी इसी संचिका सें संबंधित था, अधीक्षक मंडल कारा, नवादा को पत्र भेजने हेतु संचिका उपस्थापित किया गया। संचिका के उपस्थापन के दौरान किसी भी वरीय प्राधिकार द्वारा Magisterial Enquiry Report का प्रतिवेदन निगरानी शाखा को उपलब्ध कराने हेतु एक बार भी निदेश नहीं दिया गया। कई स्मारों के उपरांत मंडल कारा अधीक्षक, नवादा के पत्रांक–2537 दिनांक–04.06.2022 से प्राप्त Magisterial Enquiry Report को श्री कुमार द्वारा निगरानी शाखा को गै0स0प्रे0सं0–773 दिनांक–10.06.2022 द्वारा भेजने का साक्ष्य उपलब्ध कराते हुए प्रतिवेदित आरोप से मुक्त करने का अनुरोध किया गया है।

निष्कर्षतः यह तथ्य देखने में आया है कि महानिरीक्षक कोषांग में प्राप्त पत्र चौसठ दिनों के विलंब से सहायक को दिनांक–25.11.2021 को उपलब्ध कराया गया तदोपरांत पत्र के उपांत में महानिरीक्षक से प्राप्त दो निदेश क्रमशः (1) NHRC की संचिका में भी रखें एवं (2) Magisterial Enquiry की Report भी प्राप्त करें, के अनुपालन

आदेश की क्रम सं0 और तारीख 1	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर 2	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित 3

में सहायक द्वारा NHRC से संबंधित संचिका सं0–कारा/06 (मानवाधिकार)–100/21, जो सहायक के प्रभार में थी, मंडल कारा निरीक्षक, नवादा से Magisterial Enquiry Report प्राप्त करने के लिए दिनांक– 01.12.2021 से दिनांक–04.06.2022 तक मूल पत्र सहित कुल नौ (9) बार पत्र एवं प्रतिवेदन उपलब्ध कराने हेतु स्मारित किया गया, इस प्रकार सहायक द्वारा मंडल कारा अधीक्षक, नवादा के पत्रांक– 2537 दिनांक– 04.06.2022 जो महानिरीक्षक कार्यालय का दिनांक– 09.06.2022 प्राप्त होने के उपरांत दिनांक–10.06.2022 को गै0स0प्रे0सं0–773 दिनांक–10.06.2022 से निगरानी शाखा को भेजा गया।

कारा एवं सुधार सेवाएँ निरीक्षणालय, गृह विभाग (कारा) द्वारा दिनांक 12.09.2023 को राजस्व पर्षद न्यायालय से प्राप्त निदेश के आलोक में विभागीय मंतव्य उपलब्ध कराया गया है। मंतव्य में उल्लेख किया गया है कि मंडल कारा, नवादा में दिनांक 06.09.2021 को विचाराधीन बंदी गुड्डु कुमार की मृत्यु की जाँच से संबंधित जिला पदाधिकारी, नवादा का पत्र– 1926/गो0 दिनांक– 13.09.2021 जब तत्कालीन सहायक श्री रविन्द्र कुमार को दिनांक 25.11.2021 को प्राप्त कराया गया था। इस पत्र में बंदी मृत्यु की घटना के लिए कारा अधीक्षक एवं कारा उपाधीक्षक की लापरवाही एवं कर्त्तव्यहीनता प्रतिवेदित किया गया था। पत्र पर त्वरित कार्रवाई करते हुए इसे निगरानी शाखा में भेजा जाना चाहिए था, परन्तु श्री कुमार के द्वारा इस पत्र को अपने पास रख लिया गया तथा लगभग चार (4) माह बाद खोजबीन करने के उपरांत उक्त प्रतिवेदन निगरानी प्रशाखा को प्राप्त हो पाया। इस कारण से बंदी मृत्यु जैसी गंभीर घटना में दोषियों पर कार्रवाई करने में विलम्ब हुआ।

उभय पक्ष को सुना। अभिलेख का परिशीलन किया। अभिलेख के अवलोकन से तथा आरोपित कर्मी के कथन से यह स्पष्ट होता है कि कारा महानिरीक्षक द्वारा संबंधित प्रशाखा पदाधिकारी एवं तदोपरांत संबंधित सहायक को पत्र पृष्ठांकित करते समय उपांत में दो निदेश, यथा– (1) एन0एच0आर0सी0 की संचिका में भी रखें एवं (2) मजिस्टेरियल इन्क्वायरी की रिपोर्ट भी प्राप्त करें, अंकित किया गया था। उक्त निदेश के अलावा पत्र भी निगरानी शाखा में भेजने हेतु अन्य कोई निदेश दिए जाने का साक्ष्य, विभागीय कार्यवाही के दौरान उपस्थापन पदाधिकारी एवं कारा विभाग द्वारा उपलब्ध नहीं कराया गया। आरोपित कर्मी के द्वारा मण्डल कारा अधीक्षक को मूल पत्र सहित कुल आठ स्मार

आदेश की क्रम सं0 और तारीख 1	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर 2	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित 3

दिए जाने का उल्लेख करते हुए आवश्यक साक्ष्य विभागीय कार्यवाही के दौरान उपलब्ध कराया गया।

उपर्युक्त से यह परिलक्षित होता है कि कारा महानिरीक्षक द्वारा उक्त विषय को निगरानी प्रशाखा में भेजने की मंशा रही भी हो, तो इसका स्पष्ट उल्लेख उन्होंने संबंधित पत्र पर निदेश के रूप में अंकित नहीं किया। अगर निगरानी शाखा में इस विषय को भेजे जाने की अनिवार्यता थी, तो इस विषय का निदेश अन्य दो निदेशों के अतिरिक्त संबंधित सहायक को दिया जा सकता था, जो कि नहीं दिया गया। संबंधित पत्र को निगरानी शाखा में भेजे जाने का निर्णय वरीय स्तर पर लिया जाना चाहिए था, न कि सहायक स्तर पर। वैसे भी, निदेशालय द्वारा अगर इस मामले को उतना संवेदनशील एवं महत्वपूर्ण माना गया होता, तो संबंधित पत्र का खोजबीन चार माह के बाद नहीं, अपितु उसके बहुत पहले किया गया होता। निश्चय ही इस पूरे प्रकरण में विलम्ब के लिए पूरा निदेशालय जिम्मेवार है, न कि एक व्यक्ति विशेष। ऐसी स्थिति में पूरे प्रकरण के लिए केवल आरोपित कर्मी पर दोष नहीं मढ़ा जा सकता है। यह एक संस्थागत् चूक है, जिसके लिए निदेशालय को सचेत रहने की आवश्यकता है। वर्णित स्थिति में सामान्य प्रशासन विभाग का आदेश संख्या 13487 दिनांक 03.08.2022 युक्तिसंगत प्रतीत नहीं होता है।

अतः सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश संख्या 13487 दिनांक 03.08.2022 को निरस्त करते हुए, अपील आवेदन को स्वीकृत किया जाता है।

लेखापित एवं संशोधित

26.07.23

(विवेक कुमार सिंह)
अध्यक्ष–सह–सदस्य
राजस्व पर्षद, बिहार।

26.07.23

(विवेक कुमार सिंह)
अध्यक्ष–सह–सदस्य
राजस्व पर्षद, बिहार।